न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – सरोज ढाका, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 78 / 18

1 रमेश पुत्र लालू, जाति भील
2 गोपाल आत्मज रामलाल, जाति भील
3 रामस्वरूप आत्मज रामलाल, जाति भील
4 बादाम बाई पत्नी भरोस पुत्री लालू, जाति भील
निवासीगण ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

वनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2 गंगा बाई पत्नी गोपाल, जाति भील, निवासी खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : श्री असलम अंसारी, वादी अभिभाषक
श्री राजेन्द्र कुमार, प्रतिवादी अभिभाषक

दिनांक : 21.06.2019

निर्णय

वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण के पिताश्री श्री काल्या आत्मज धूल्या, जाति भील की आराजी खसरा नम्बर 79 रकवा 4 बीघा 5 बिस्वा बारानी सोयम की भूमि वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि दिनांक 20.08.72 को विधिवत तरीके से आवंटित हुई थी और इंतकाल नम्बर 40 से दिनांक 26.08.72 को गैरखातेदारी में भी दर्ज की गई थी। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वादीगण के वारिसान के नाम इंतकाल नम्बर 109 के आधार पर उनके वारिसान का ही कब्जा चला आ रहा है। वादी की भूमि का इंतकाल नम्बर 114 दिनांक 14.02.83 से उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में भी दर्ज हो चुकी थी और वादीगण को उक्त भूमि के सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे और वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त भूमि जिसका गत खसरा नम्बर 79 रकवा 4 बीघा 5 बिस्वा बारानी द्वितीय था, जिसके हाल सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 209 कायम करते हुये रकवा 0.39 हैक्टर बारानी द्वितीय कायम किया गया, जो उक्त रकवे से कमी करते हुये सेटलमेनट विभाग द्वारा दर्ज किया गया।

उक्त भूमि से लगवां गत आराजी खसरा नम्बर 65 स्थित थी, जिस पर कंवरलाल वल्द हीरा, कौम भील की खातेदारी की भूमि थी, जिसका रकवा सेटलमेन्ट से पूर्व 4 बीघा 5 बिस्वा था जो बारानी सोयम थी और उक्त भूमि उसके खातेदारी में चली आ रही थी। इसके पश्चात सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि का नया खसरा नम्बर 208 रकवा 0.83 हैक्टर बारानी द्वितीय कायम किया गया जिसका उल्लेख खसरा पृथक संवत 2034 जो सेटलमेन्ट से पूर्व की थी, जिसमें उक्त खसरा नम्बरान का रकवा बढाते हुये 0.83 हैक्टर बारानी द्धितीय दर्ज किया गया, जिसका भी उल्लेख खसरा पृथक संवत 2034 में दर्ज है।

Ramesh.Sarkar

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

उक्त भूमि जो वादीगण खातेदारी में दर्ज की हुई भूमि का रकबा कम करते हुये जिसके पूर्व खातेदार कंवरलाल वल्द हीरा के वारिसान प्रतिवादी क्रम 2 को बेचान किया गया था, उक्त बेचान में सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जो रकबा बढाया गया था, उसका भी बेचान कंवरलाल के वारिसान द्वारा किया गया है, जो गलत है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकार के रकबे को कम करने एवं उस रकबे को किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज करने का भी कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किसी के खातेदारी की भूमि का रकबा कम करते हुये दूसरे खातेदार के रकबे को बढाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता व प्रतिवादी क्रम 2 के पूर्व खातेदार कंवरलाल आत्मज हीरा दोनों का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था व दोनों की आराजीयात लगवां थी। सेटलमेन्ट ने एक खातेदार (रामलाल) का रकबा घटा दिया एवं प्रतिवादी क्रम 2 के पूर्व खातेदार कंवरलाल आत्मज हीरालाल का रकबा बढा दिया, जो प्रतिवादी क्रम 2 के हक में क्रय किया गया। वादीगण को सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर जिसका उल्लेख वादपत्र की मद में उल्लेखित किया गया है, उसी को दुरूस्तीकरण हेतु एवं खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी आवंटित भूमि जो खातेदारी में दर्ज की गई थी, जिसके हाल खसरा नम्बर 209 रकबा 0.39 हैक्टर है, जिसका पूर्व रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था तथा लगवा खातेदार जिसका क्रय गंगाबाई द्वारा किया गया है, उसके रकबे में बढोतरी करते हुये गत रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा को बढाते हुये हाल रकबा 0.83 हैक्टर कायम किया गया जबकि मेट्रिक प्रणाली से 4 बीघा 5 बिस्वा का हाल रकबा 0.68 हैक्टर होना चाहिये था जो बढाकर 0.83 हैक्टर कर दिया गया। उक्त बढे हुये रकबे में से वादीगण की कमी रकबा 0.29 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी क्रम 2 के खाते से विलोपित करते हुये वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 2 के पूर्व खातेदार कंवरलाल पुत्र हीरा से क्रय किये गये बढे हुये रकबे में से वादीगण का पूर्व रकबे के अनुसार कमी रकबा 0.22 हैक्टर भूमि वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को प्रतिवादी क्रम 2 के खाते से विलोपित करते हुये वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार साहब, लाडपुरा, कोटा को यथोचित निर्देशन देने की कृपा करें। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के निम्नानुसार दस्तावेज पेश किये गये –

1. नकल सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2038–2057, ग्राम उम्मेदपुरा
2. नकल जमाबन्दी संवत 2030–2033, ग्राम उम्मेदपुरा, खाता सं. 3 कंवरलाल
3. नकल जमाबन्दी संवत 2030–2033, ग्राम उम्मेदपुरा, खाता सं. 43 काल्या
4. नकल खंसरा पत्रक, संवत 2.34
5. नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057
6. नकल नक्शा आंशिक संवत 2013–14, संवत 1955–56
7. नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073खाता संख्या 35 नया
8. रामनाथी पत्नी लालु के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति।

प्रतिवादी क्रम 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जिस रकबे के बारे में वादीगण उल्लेख कर रहा है, वह रकबा सेटलमेन्ट बन्द होने के पश्चात ही वादीगण के वारिसों द्वारा किया जाना चाहिये था जो वादीगण के पूर्वजों द्वारा नहीं किया गया और ना ही उक्त रकबे के बारे में काफी समय पश्चात उक्त रकबे को दुरूस्तीकरण किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाहर है क्योंकि प्रतिवादी ने उक्त रकबे को खसरा नम्बर 208 रकबा 0.83 हैक्टर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया जिसका विधिवत व नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में इंतकाल जर्ये जमाबन्दी में दर्ज किया गया है। जो बिल्कुल विधि के अनुसार व कानूनी प्रावधानों के अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकित किया गया है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

[illegible] है और जिसका वाद वादीगण द्वारा राजस्व न्यायालय में सुनने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि का निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार है। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाकर वादी से प्रतिवादी को वाद खर्चा दिलवाया जावे। प्रकरण में पेश किये गये दावा एवं जवाब दावा के कथनों के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये –

1. आया वादीगण के पिता श्री काल्या आत्मज धूल्या, जाति भील की आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बारानी सोयम की भूमि वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि दिनांक 20.08.72 को विधिवत तरीके से आवंटित हुई थी और इंतकाल नम्बर 40 से दिनांक 26.08.72 को गैरखातेदारी में भी दर्ज की गई थी। (वादीगण)
2. आया वादी की भूमि का इंतकाल नम्बर 114 दिनांक 14.02.83 से उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में भी दर्ज हो चुकी थी और वादीगण को उक्त भूमि के सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे। (वादीगण)
3. आया सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता व प्रतिवादी क्रम 2 के पूर्व खातेदार कंवरलाल आत्मज हीरा दोनों का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था व दोनों की आराजीयात लगवां थी। (वादीगण)
4. आया वादीगण द्वारा उक्त रकबे के बारे में काफी समय पश्चात उक्त रकबे को दुरूस्तीकरण किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाहर है। (प्रतिवादी क्रम 2)
5. आया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि का निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार है। (प्रतिवादी क्रम 2)

प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि नकल जमाबन्दी संवत 2030–2033 से स्पष्ट है कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 79 तथा खसरा नम्बर 65 का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था। दौराने सेटलमेन्ट संवत 2038–2057 में मुताबिक मिलान क्षैत्रफल खसरा नम्बर 79 के नये नम्बर 209 रकबा 0.39 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 65 के नये नम्बर 208 रकबा 0.83 हैक्टर कायम किया गया। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 79 से बने नये खसरा नम्बर का रकबा कम करके गत खसरा नम्बर 65 के नये खसरा नम्बर में बढा दिया गया है। अतः गत खसरा नम्बर 79 से बने नये खसरा नम्बर के रकबे में हुई कमी की पूर्ति गत खसरा नम्बर 65 से बने नये खसरा नम्बर से की जावे। प्रतिवादी क्रम 2 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि वादीगण विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार नहीं है। जिससे उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है। प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से आराजी का क्रय किया गया है, जिससे उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वादीगण द्वारा उक्त वाद क्लीन हेण्ड पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त वादीगण का उक्त वाद खारिज किया जावे। प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के गत निर्णयों की निम्न नजीरें पेश की गई है :–

1. RRT 2011 (2), Page 1170-1176
2. RRT 2013 (1), Page 93-109
3. DNJ[Raj] 2013(1) Page 358-359
4. RRT 2017 (2) Page 1102-1104
5. RRT 2017 (2) 1004-1012

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की गत विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 65 व 79 प्रत्येक का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड था। दौरान सेटलमेन्ट संवत

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

8—2057, मुताबिक मिलान क्षैत्रफल गत खसरा नम्बर 65 के नये खसरा नम्बर 208 का रकबा 0. तथा गत खसरा नम्बर 79 के नया खसरा नम्बर 209 का रकबा 0.39 कायम किया गया। उपरोक्त गत खसरा नम्बरान 65 व 79 प्रत्येक का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था। जिले की वर्तमान हैक्टर प्रणाली के अनुसार 4 बीघा 5 बिस्वा के 0.67 हैक्टर बनते है। वादी ने स्वयं के गत खसरा नम्बर 79 की भूमि का रकबा कम होकर गत खसरा नम्बर 65 में बढना अंकित किया है क्योंकि उक्त दोनों खसरा नम्बर एक दूसरे से लगे हुये है। वादी द्वारा इसके समर्थन में उपरोक्त खसरा नम्बरान का गत नक्शा व हाल नक्शा पेश नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि खसरा नम्बर 79 का कम हुआ रकबा किस खसरा नम्बर में बढा है। इसके अतिरिक्त वादी का यह कथन कि खसरा नम्बा 79 व खसरा नम्बर 65 आपस में लगवा है, भी स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि खसरा नम्बर 79 की सीमायें उसके आस पास के अन्य खसरा नम्बरान से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त वादी यह सिद्ध करने में भी असफल रहा है कि उनकी आराजी में जो रकबा (0.28 हैक्टर) कम हुआ है वह अन्य किस खसरा नम्बर में बेशी हुआ है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रतिवादी के पक्ष में हुये विक्रय पत्र की प्रति भी न्यायालय में पेश नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट होता कि प्रतिवादी नं. 2 गंगाबाई द्वारा जो रकबा खरीद की गई है वह खसरा नम्बर 65 का ही है। प्रतिवादी क्रम 2 बोनाफाइड क्रेता है तथा उक्त कमी बेशी के साबित हुये बिना सद्भावी क्रेता की भूमि को कम किया जाना उचित नहीं समझते है।

दौराने वाद प्रकरण में कायम की गई तनकी नम्बर 1 में वादीगण के पिता श्री काल्या आत्मज धूल्या, जाति भील की आराजी खसरा नम्बर 79 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा बारानी सोयम की भूमि वाके ग्राम उम्मेदपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि दिनांक 20.08.72 को विधिवत तरीके से आवंटित हुई थी और इंतकाल नम्बर 40 से दिनांक 26.08.72 को गैरखातेदारी में भी दर्ज की गई थी, को वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है। तनकी नम्बर 2 में वादी की भूमि का इंतकाल नम्बर 114 दिनांक 14.02.83 से उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में भी दर्ज हो चुकी थी और वादीगण को उक्त भूमि के सम्पूर्ण खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके थे तथा तनकी नम्बर 3 सेटलमेन्ट से पूर्व वादी के पिता व प्रतिवादी क्रम 2 के पूर्व खातेदार कंवरलाल आत्मज हीरा दोनों का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था व दोनों की आराजीयात लगवां थी को साक्ष्य के अभाव में वादीगण के विरूद्ध तय किया जाता है। तनकी नम्बर 4 वादीगण द्वारा उक्त रकबे के बारे में काफी समय पश्चात उक्त रकबे को दुरूस्तीकरण किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाहर है तथा तनकी नम्बर 5 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि का निरस्तीकरण हेतु सिविल न्यायालय को उक्त वाद सुनने का अधिकार है, विधि सम्मत होने से प्रतिवादी क्रम 2 के पक्ष में तय की जाती है। उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकी क्रमांक 2 व 3 वादी के विरूद्ध एवं तनकी क्रमांक 4 व 5 प्रतिवादी के पक्ष में तय होने तथा वादी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण वादी अपने को वाद को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज ढाका) R.A.S.
सहायक कलेक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

Ramesh Sarkar

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश I.A.S.(P.)

बउनवान :–

1 रमेश पुत्र लालू, जाति भील
2 गोपाल आत्मज रामलाल, जाति भील
3 रामस्वरूप आत्मज रामलाल, जाति भील
4 बादाम बाई पत्नी भरोस पुत्री लालू, जाति भील
निवासीगण ग्राम खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा
2 गंगा बाई पत्नी गोपाल, जाति भील, निवासी खेडा जगपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 78 / 18
निर्णय दिनांक : 21-06-2019
डिक्री दिनांक : 23-07-2019

न्यायालय हाजा में विचाराधीन उक्त प्रकरण रमेश बनाम सरकार में दिनांक 21.06.2019 को जारी निर्णय में सहवन से डिक्री पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने से छूट गये थे, जिसके सम्बन्ध में वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश 20 नियम 8 सीपीसी के अन्तर्गत आज तारीख 23–07–2019 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण का उसके गुणावगुण के आधार पर अवलोकन उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सिद्ध नहीं कर पाने के कारण वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।
– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 23.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

AtulPrakash
23/07/2019.
(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P.)
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	.... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		